

23

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर।

प्रकरण क्रमांक

/2018 पुनर्स्थापन = 6493/2018/दतिया/भू-रक्ष

1. शंकरलाल पिता देवीसिंह जाति आंजना धंधा-कृषि
निवासी - मुल्लापुरा, बडनगर रोड, उज्जैन।
2. ओम पिता देवीसिंह जाति आंजना धंधा-कृषि
निवासी - मुल्लापुरा, बडनगर रोड, उज्जैन।
3. राजुबाई पति स्व. देवीसिंह जाति - आंजना धंधा-कृषि
निवासी - मुल्लापुरा, बडनगर रोड, उज्जैन।
4. सपनाबाई पति संदीप धंधा-कृषि
निवासी - ग्राम आंजमपुरा, तहसील घट्टिया
जिला उज्जैन म.प्र.। - प्रार्थीगण

—विरुद्ध—

1. तोलाराम पिता भेरूसिंह जाति आंजना
निवासी - मुल्लापुरा, बडनगर, रोड, उज्जैन।
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
दतिया।प्रतिप्रार्थीगण

विषय - माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1057-1/09 निगरानी में पारित आदेश दिनांकित 02-11-2010, जो कि अनुपस्थिति में खारिज हुआ है, को निरस्त किए जाने हेतु आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 35 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता.

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित आवेदन-पत्र सादर प्रस्तुत है :-


1:- यह कि, प्रार्थीगण ने न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 5बी-103/08-09 में पारित आदेश दिनांक 20.03.09 के विरुद्ध प्रतिप्रार्थीगण के विरुद्ध एक निगरानी प्रस्तुत की थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 1057-आई/09 निगरानी था। उपरोक्त निगरानी के संबंध में प्रार्थीगण ने श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता

Contd....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पुर्नस्थापन-6493/2018/दतिया/भूरा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.01.2019	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें पुर्नस्थापन आवेदन की ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा आवेदक की ओर से आवेदन के साथ प्रस्तुत पूर्व अधिवक्ता के शपथ-पत्र तथा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का अवलोकन किया। विचारोपरांत न्यायहित में यह पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण निगरानी 1057-एक/09 पुर्नस्थापित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	